भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2364

जिसका उत्तर दिनांक 15.03.2023 को दिया जाना है

कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को बंद करने की मांग

2364. श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयुक्त परमाणु ईंधन के असुरक्षित भंडारण के कारण कुडनकुलम स्थित परमाणु संयंत्र को बंद करने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने विशेषज्ञों और तमिलनाडु राज्य सरकार की सहायता से प्रयुक्त परमाणु ईंधन के भंडारण की समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) आपदा के जोखिम से बचने के लिए कुडनकुलम संयंत्र में अवे-फ्रॉम-रिएक्टर (एएफआर) सुविधा के निर्माण सहित सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) कुछ समूहों द्वारा कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र को शटडाउन करने की मांग की गई है।

(ख) एनपीसीआईएल ने केकेएनपीपी 1 व 2 में 'रिएक्टर से दूर' सुविधा निर्माण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए हैं।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भारत में एएफआर सुविधाओं के अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन और प्रचालन के लिए एईआरबी की विस्तृत विनियामक सहमति प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। एएफआर सुविधा को वृहद् संरक्षा पहलुओं सहित व्यापक संरक्षा दृष्टि से इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है कि वह भूकंप और सुनामी जैसी भारी प्राकृतिक घटनाओं को रोक सके। जैसा कि ऐसी सुविधाएं पहले से ही अन्य स्थलों पर मौजूद हैं, इसके अभिकल्प में सुनिश्चित किया गया है कि संयंत्र कर्मियों, सामान्य जनता या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

* * * * *